

135



समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर {म०प्र०}

निज 12756/1115

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

526

विजयकुमार पिता - मथुराप्रसाद बबेले,

निवासी - चौधरी मोहल्ला पाटन.

तहसील पाटन जिला जबलपुर {म०प्र०}

XXXXX पुनरीक्षणकर्ता

:: विरुद्ध ::

मौज फिज
शेड
28-7-15

दिनांक 28-7-15
अनावेदक पर
प्रमाण
28-7-15

1- सुशीलकुमार पिता स्व. संतोषकुमार बबेले,

2- मनीषकुमार पिता स्व. संतोषकुमार बबेले ,

3- दिनेशकुमार पिता स्व. संतोषकुमार बबेले ,

सभी निवासी चौधरी मोहल्ला वार्ड नं. 2,

पाटन तहसील पाटन जिला जबलपुर {म०प्र०}

XXXXX अनावेदकगण

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा - 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , पाटन
के राजस्व प्रकरण क्रमांक - 16/अ-27/13-14 में पारित
आदेश दिनांक - 15/06/2015 से परिवर्धित होकर निम्न
तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

-// 2

M

अधिकारी


गीप कारा, श्रीकांत , देवीदयाल की जमीन श्रे तरफ की 1-20ए;
अर्गत 3 एकड़ भूमि भी संतोष कुमार को प्राप्त हुई है किंतु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2756-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u></p>	